IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 29, Issue 3, Series 1 (March, 2024) 77-83
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका

डॉ. प्रदीप कुमार

शोध सारांश
देश के चहुँमुखी विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना नितान्त आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये स्वतंत्रता प्राप्ति के तीसरे दशक से ही ग्रामीण क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास ने नया मोड़ लिया और अति पिछड़े तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास किये गये, लेकिन राज्य में ग्रामीण विकास को और अधिक प्राथमिकता एवं विशेष महत्व देते हुए वर्ष 1971 में विशिष्ट योजना संगठन की स्थाना की गई । आज भारत विश्व में सबसे विकासशील देश की सुची में है जिसका मुख्य श्रेय इन सब योजनाओं को जाता है जो भारत की नींव को मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रही है और इसके परिणाम सकारात्मक दिखाई दे रहे है। भारत नव निर्माण में यह यह कार्यक्रम नींव का पत्थर साबित होंगी।

मुख्य बिन्दु :– पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास, निर्धनता उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार, आर्थिक व सामाजिक विकास /

परिचय :–

अध्ययन क्षेत्र में 6 लाख से अधिक भारतीय गांवों में 125 करोड़ से अधिक भारतीय निवासरत है। भारत की 70 प्रतिशत जनसख्या गाँव में निवास करती है। कहा जाता रहा है कि गाँव से बना भारत। ग्रामीण क्षेत्रों वो सारी सुविधाएँ नहीं पहुंच पाती है जो शहरी क्षेत्रों में असानी से उपलब्ध है जैसे– शिक्षा, आवास सुविधा, रोजगार, कौशल विकास, आदि मूलभूत सुविधाएँ। किसी देश को सम्पन्न करने के लिए उस देश के पिछड़े वर्गों को सम्पन्न करना प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इसी बिन्दु पर अमल किया गया। भारत की ग्रामीण ईकाई को सुविधा जिनसे वे वंचित है प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है ताकि ग्रामीण अंचल में निवासरत व्यक्तियों का विकास किया जाए तथा उन्हे मूलभूत सुविधा मुहईया कराई जाए। इस विशाल देश के विशाल जनसंख्या की गरीबी एवं गरीबी जनित समस्याओं का समाधान शासकीय प्रयासों से ही संभव है। क्योंकि शासन के पास पर्याप्त मानवीय एवं वित्तीय संसाधन होते हैं। समाजिक न्याय के साथ तीव्र विकास की महत्वाकांक्षी अभिलाषा के साथ देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही विकास और कल्याण की अनेकानेक योजनाओं और कार्यक्रम को संचालित किया जाता रहा है। प्रारंभ में इन कार्यक्रमों एवं योजनाओं की संख्या कम रही है। पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न अवसरों पर नई–नई योजनाओं की घोषणा करके उनकी संख्या में खासी बढ़ोत्तरी की गई है। कुछ पुरानी योजनाओं को मिलाकर नई योजनाएं तथा नये–नये क्षेत्रों एवं वर्गों के लिए लुभावने नामों वाली नई–नई योजनाओं की भरमार होती जा रही है। 2020 तक शेष विश्व में भारत की पहचान गरीबी–रहित विकसित देश के रूप में कराने के मार्ग में गरीबी एवं गरीबी–जनित समस्याएं सबसे बड़ी बाधाएं हैं। गरीबी को दूर करने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात् गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सहारा केन्द्र सरकार एवं राज्यों की सरकार लेती जा रही है। स्वतंत्रता के बाद गरीबी एवं गरीबी–जनित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाये गये उसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का नाम दिया गया है।

उद्देश्य :–

1 ग्रामीण विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का अध्ययन करना ।

2 ग्रामीण विकास योजनाओं की भूमिका का अध्ययन करना ।

परिकल्पना :–

पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से गांवों का विकास हुआ है ।

आँकड़ो का संग्रह :–

प्रस्तुत शोध पत्र में विभिन्न ग्रामीण विकास में पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन द्वितीयक आँकड़ो के आधार पर किया गया है ।

पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास :–

भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाएँ :–

भारत में जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार लाने का महत्वपूर्ण प्रयास सरकार की ओर से स्वतंत्रता प्राप्ति बाद प्रारंभ किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 'राम राज्य' की कल्पना को साकार करने का प्रयास भी भारतीय संविधान में आविर्भूत किये गये। इसलिए संविधान के कई उपलब्ध देश के आर्थिक विकास, जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार तथा समाज के कमजोर एवं निम्न वर्गों के आर्थिक हितों की रक्षा से संबंद्ध है। वास्तव में भारतीय संविधान प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों पर विशेष बल देता हैं इसके भाग चार में राज्य के नीति का निदेशक तत्वों का विवरण है जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ऐसी नीति का निदेशक करेगी कि वह सभी स्त्री–पुरूषों को जीवन यापन के लिए यथेष्ट और समान अवसर दें, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करें और अपनी आर्थिक क्षमता तथा सीमाओं के अनुसार सबको काम और शिक्षा पाने का अधिकार दिलाए तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं अपाहिजपन अथवा आवश्यकता की कम पूर्ति के अन्य मामलों में सबकों वित्तीय सहायता दे। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में यह भी निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों को जीवन निर्वाह कार्य की मानवीय दशाओं, रहन–सहन के अच्छे स्तर, अवकाश की अवधि और समाजिक एवं सांस्कृति सुविधाओं का पूर्ण आनन्द उठाने की व्यवस्था हो। संविधान के इन महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखकर ही देश में अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु योजना की पद्धति स्वीकार की गई।

भारत में सन् 1951 से योजना बद्ध आर्थिक विकास की नींव रखी गयी और तब से ही क्रम बद्ध आर्थिक विकास की ओर बढ़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था से निर्धनता उन्मूलन के प्रयास किये गये हैं। इस प्रकार 1951–1952 में लागू पहली पंचवर्षीय योजना से अब तक बारहवीं पंचवर्षीय योजनाएं और सात एक वर्षीय योजनाएं पूरी की जा चुकी है। इन योजनओं के अन्तर्गत चलाये जाने वाले विभिन्न आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों द्वारा जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ समाज के निर्धन वर्गों के लिए भी अलग से कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए गये हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक प्रयास किए हैं। उन प्रयासों में पंचवर्षीय योजनाओं का विशेष योगदान है। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी हटाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनमें सामुदायिक विकास योजनाएं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना तथा इसके अन्तर्गत कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सहकारी समितियां, यातायात, सहकारी समितियां आदि प्रमुखतः उल्लेखनीय हैं।

पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर बारहवीं पंचवर्षीय योजना तक में हुए निर्धनता उन्मूलन के प्रयास का व्यौरा निम्नलिखित है :–

1. पहली पंचवर्षीय योजना (1951–56)

योजना आयोग ने पहली योजना के प्रतिवेदन में इस योजना के उद्देश्य का उल्लेख निम्न शब्दों में किया था–

"भारतीय योजनाकरण का केन्द्रीय उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा करना और बेहतर जीवन के लिए अवसर प्रदान करना है।"

पहली योजनावधि में लोगों का जीवन स्तर उठाने तथा उन्हें अच्छा जीवन व्यतीत करने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दो विशेष कार्यक्रम चलाये गये थे– पहलाः सामुदायिक विकास योजना तथा दूसरा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम । सामुदायिक विकास योजना 1 अक्टूबर, 1952 से चलाई गई और इसे सर्वप्रथम चुने हुए 55 योजना क्षेत्रों में लागू किया गया था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 23 अक्टूबर, 1953 से चालू किया गया। सन् 1956 तक सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम देश के लगभग 1,40,147 गांवों में आरंभ हो गया था। ये सभी गांव 988 प्रखण्डों में विभाजित थे और इनकी कुल जनसंख्या 77.5 लाख थी। कृषि श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कई कार्य किये गये जिनमें कम मजदूरी वाले क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी तय करना, भूमिहीन श्रमिकों के लिए पुनर्वास की योजना बनाना, श्रमिक सहकारिताओं का संगठन, निवास स्थान के संबंध में श्रमिकों को दखली अधिकार देना आदि शामिल थे।

यद्यपि पहली पंचवर्षीय योजना एक सरल योजना थी क्योंकि इसमें निर्धारित लक्ष्यों से अधिक की प्राप्ति हुई थी और देश की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 18 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तथापि यह योजना अर्थव्यवस्था से आर्थिक विषमता को दूर करने में बिल्कुल असमर्थ रही। इसका कारण यह था कि पहली योजना में उद्योगों की उपेक्षा की गई थी और सरकार ने भी नियंत्रण एवं नियमन की तकनीकी का प्रयोग उचित रूप से नहीं किया था ।

2. दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–1961)

दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल, 1956 से लेकर 31 मार्च, 1961 तक था। दूसरी योजना मे इस तथ्य पर विशेष बल दिया गया था कि विकास से हुए लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम सुविधा प्राप्त वर्गों को मिलना चाहिए और आय के केन्द्रीकरण में क्रमिक कमी होनी चाहिए। इसलिये आधारभूत एवं बड़े उद्योगों के विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, निजी क्षेत्र के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि को इस योजना का केन्द्र बिन्दु बनाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को इस तरह से गति देना था जिससे कि जनसाधारण हेतु सुख–समृद्धि की नींव रखी जा सके, इसके निम्न तीन प्रमुख लक्ष्य निश्चित किये गये थे–

(क) आर्थिक असमानता की समाप्ति

(ख) अधिक से अधिक रोजगार के अवसर

(ग) अधिकतम उत्पादन

दूसरी योजना में "समाजवादी ढंग से समाज" की स्थापना द्वारा समाज के सभी वर्गों को विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था। यद्यपि इस योजनाकाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, फिर भी प्रति व्यक्ति आय में मात्र 9 प्रतिशत ही वृद्धि हुई। इस योजना में हुआ विकासात्मक लाभ निर्धनों तक सही रूप से नहीं पहुंच पाया था जिससे समाज में धन एवं आय के विषम–वितरण में और भी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त इस योजना में रोजगार के अवसर के लक्ष्य की भी प्राप्ति नहीं हो सकी थी।

3. तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–1966)

तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रेल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। तीसरी योजनावधि में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर 288 करोड़ रु. खर्च किये गये थे जबकि इसके पूर्व की दो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कुल मिलाकर 233 करोड़ रू. खर्च किये गये थे। अक्टूबर, 1963 तक सम्पूर्ण भारत में इस कार्यक्रम को लागू करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसके पीछे एक मात्र उद्देश्य ग्रामीणों एवं निर्धनों की स्थिति में सुधार लाना था। इसके अतिरिक्त पहली तथा दूसरी योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जहां क्रमशः 30 करोड़ और 79 करोड़ रू. व्यय करने की व्यवस्था की गयी थी, वहीं तीसरी योजनावधि में इनके कार्यक्रमों के लिए 114 करोड़ रू. रखे गये थे।

वार्षिक योजनाएं (1966–69)

तीसरी योजना की समाप्ति के पश्चात् चौथी पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका था, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं यथा विदेशी आक्रमण, अकाल एवं सूखा, रूपये का अवमूल्यन इत्यादि से घिरी थी। अतएव चौथी योजना से पूर्व तीन वार्षिक योजनाओं 1966–67, 1967–68 और 1968–69 को लागू किया गया ताकि अर्थव्यवस्था में विद्यमान तात्कालिक समस्याओं पर काबू पाया जा सके और आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सके।

इन तीनों वार्षिक योजनाओं का उद्देश्य इस प्रकार निश्चित किय गया था जिससे कि अर्थव्यवस्था में व्याप्त आय एवं सम्पत्ति की विषमताओं को घटाया जा सके। इसके अतिरिक्त देश की राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने और मानवीय संसाधन का उच्चतम उपयोग करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। इन योजनाओं में कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया था।

4. चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–74)

वार्षिक योजनाओं की समाप्ति के पश्चात् चौथी पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया गया जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च, 1974 तक थी। इस योजना के प्रलेख में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि "योजना का बुनियादी उद्देश्य समानता तथा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले उपायों द्वारा जनता के जीवन स्तर को तेजी से उठाना है और जन–सामान्य, समाज के दुर्बल एवं पिछड़े हुए लोगों की भलाई पर विशेष बल देना हैं। इस प्रकार चौथी योजना में पहली बार आर्थिक विषमता को दूर करने की बात कही गई और इसके लिए सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों पर व्यय की राशि बढ़ाई गई। चौथी योजना के प्रारूप में उल्लेखित था किकृष्ष चौथी योजना के कार्यक्रमों में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विकास के लाभ समाज के निर्धन एवं निम्नतम वर्गों और देश के अविकसित प्रदेशों को भरपूर मिलें।"

5. पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79)

पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 थी, लेकिन केन्द्र में सत्ता परिवर्तन (जनता सरकार) के कारण इसे एक वर्ष पूर्व ही 31 मार्च, 1978 को समाप्त कर दिया गया। पांचवी योजना में निर्धनता उन्मूलन का स्पष्ट नारा दिया गया था और इसके लिए पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर होना आवश्यक समझा गया था। इस योजना के दृ

ष्टिकोण पत्र के अनुसार "पांचवी योजना निर्धनता निवारण और आर्थिक आत्म निर्भरता के दो प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित है।" इन आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्न लक्ष्यों को योजना में स्थान दिया गया था–

1. रोजगार को बढ़ावा देना।

2. न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करना।

3. सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय विषमताएं दूर करना।

4. अनावश्यक उपभोग को नियंत्रित करना।

5. जनसाधारण के उपयोग की वस्तुएं उत्पादित करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

6. राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि करना।

7. सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार करना।

8. आवश्यक वस्तुओं के वितरण की समुचित व्यवस्था करना, इत्यादि ।

पांचवी योजना के आलेख में कहा भी गया था कि "रोजगार का सृजन करना सर्वाधिक विश्वसनीय तरीका है जिसके द्वारा निर्धनता के स्तर से नीचे रहने वाले असंख्य लोगों को निर्धनता के स्तर से ऊपर उठाया जा सकता है। आय के पुनर्वितरण के परम्परागत वित्तीय तरीके अकेले इस समस्या के समाधान में विशेष सहायक नहीं हो सकते। 7 गांवों में रहने वाले स्त्री–पुरुषों के बेहतर आर्थिक स्थिति के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए एक विशेष कार्यक्रम 'स्वयं रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण' (ज्त्लैम्ड) क्रियान्वित किया गया। ज्त्लैम्ड कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धन ग्रामीण युवकों को स्व–रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना तथा उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करना था।"

6. छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)

जनता सरकार द्वारा घोषित योजना की अवधि 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च, 1983 थी, लेकिन सरकार के पतन हो जाने से और केन्द्र में कांग्रेस आई द्वारा सत्ता सम्हाल लिए जाने के कारण इस योजना को तीन वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों के आधार पर 13–14 फरवरी, 1981 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) को स्वीकृत प्रदान की गई। इस योजना में अर्थव्यवस्था के विकास दर में वृद्धि करने के साथ–साथ निर्धनता, बेरोजगारी और सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने हेतु प्रत्यक्ष कदम उठाये गए थे। इस योजना में एक महत्वपूर्ण घोषणा यह की गई थी कि "निर्धनों के हित में आय और उपभोग के पुनर्वितरण के बिना निर्धनता में कोई खास कमी नहीं होगी।"

छठी योजना के अन्तर्गत कृषि तथा उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में साथ–साथ आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की रणनीति अपनायी गई थी ताकि उत्पादन, निवेश और निर्यात के क्षेत्र में तीव्र वृद्धिदर प्राप्त की जा सके। इस संबंध में छठी योजना में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि "छठी योजना की विकास रणनीति में कृषि तथा उद्योग दोनों की अधोसंरचना को अनिवार्य रूप से एक साथ मजबूत किया जाएगा जिससे कि विनियोग, उत्पादन एवं रोजगार में त्वरित वृद्धि के लिए परिस्थितियां कायम की जा सकें और इस उद्देश्य हेतु ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्रों में विशेष रूप से अधिक रोजगार के अवसर कायम किया जा सके ताकि लोगों के लिए न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त कि जा सके।

छठी योजना में यह कहा गया था कि "निर्धनता की समस्या पर एक विस्तारशील अर्थव्यवस्था में ही प्रहार किया जा सकता है। चूंकि विकास अपने आप में ही पर्याप्त नहीं है, इसलिए जनता के जीवन स्तर को उन्नत करने के विशेष उद्देश्य के लिए अन्य कार्यक्रम एवं नीतियां अपनानी होंगी और आय एवं संपत्ति की असमानता में कमी करनी होगी। इस प्रकार छठी योजना में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विस्तार एवं उसे मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया गया था।"

इस योजनाकाल में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को तकनीकी, सेवा संबंधी एवं संपत्ति–हस्तांतरण आदि द्वारा सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया था। जिन क्षेत्रों में श्रमिकों की मजदूरी कम थी, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी कानून को कड़ाई से लागू किया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं शहरी निर्धनों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाल, सार्वजनिक यातायात प्रणाली और सामूहिक रसोईघर की व्यवस्था पर अधिक जोर दिया गया। भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हुए भूमि की हथबन्दी की गई और इससे प्राप्त अतिरिक्त भूमि को भूमिहिनों में बांटने पर बल दिया गया। इस तरह छठी योजना में निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप निर्धनता की मात्रा में लगभग 10 प्रतिशत की कमी हुई और निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 1983–84 में 37.4 प्रतिशत हो गयी।

7. सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)

सातवीं पंचवर्षीय योजना में जिन बातों पर ध्यान दिया गया था, उनमें लोगों को न्याय दिलाना, शोषण समाप्त करना, कमजोर वर्ग के लोगों के समाज कल्याण एवं उनके सामाजिक उपभोग के स्तर में वृद्धि करना प्रमुख थे। इसके लिए सातवीं योजना के मुख्य तीन उद्देश्य निर्धारित किए गए थे –

1. रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना

2. खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना तथा

3. उत्पादकता में वृद्धि करना।

वार्षिक योजनाएं (1990–92)

यद्यपि आठवीं योजना 1 अप्रैल, 1990 से प्रारंभ होनी थी लेकिन राजनैतिक अस्थिरता के कारण यह योजना अपने निश्चित समय पर आरम्भ नहीं हो सकी। बाद में 1992–97 की अवधि के लिए आठवीं योजना लागू की गयी। इस बीच दो वार्षिक योजनाएं 1990–91 तथा 1991–92 क्रियान्वित की गई और इन क्रमशः 61,518 करोड़ रू. तथा 72317 करोड़ व्यय किए गए।

दोनों वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत कृषि सिचाई, बाढ़ नियंत्रण, शक्ति और सामाजिक सेवाओं एवं अन्य मदों पर अधिक राशि खर्च कर ग्रामीणों एवं समाज में निर्धनों की स्थिति को सम्हालने का प्रयास किया गया था। 1990–1992 की अवधि को योजनाविहिन (प्लान होलीडे) वर्ष का सम्बोधन दिया गया था।

8. आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)

आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो रणनीति स्वीकार की गई थी, उसमें अवसंरचनात्मक संरचना को मजबूत बनाने के साथ–साथ शिक्षा, कृ षि एवं ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। इस योजनावधि में कुल वास्तविक सार्वजनिक व्यय 508187 करोड़ रूपया हुआ था जिसमें से कृषि, सिंचाई, शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण पर 235199 करोड़ रू. उद्योगों एवं खनन पर कुल 49224 करोड़ रू., परिवहन एवं संचार पर 107835 करोड़ रू, व्यय किये गये थे जबकि शिक्षा अनुसंधान, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण जैसे अन्य सामाजिक सेवाओं पर कुल 515929 करोड़ रू. व्यय किये गये थे।

9. नवमी पंचवर्षीय योजना (1997–2002)

नवमीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के संशोधित मसौदे को केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा 9 जनवरी 1999 करे मजदूरी दी गई। इस योजना में भी निर्धनता उन्मूलन हेतु चलाये गए विभिन्न कार्यक्रमों को अधिक कारगर ढंग से लागू करने पर बल दिया गया है। नवमी योजना का मूलमंत्र "न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास" है।

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं–

1. स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा सेवा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा तथा आवास जैसी मूलभूत न्यूनतम सेवाएं एक निश्चित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराना।

2. सामाजिक मेल–जोल एवं सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी द्वारा विकास प्रक्रिया की पर्यावरणीय क्षमता सुनिश्चित करना।

3. सभी के लिए विशेषकर कमजोर एवं निर्धन वर्गों के लिए खाद्यान्नों तथा पोषक आहार की समुचित मात्रा में व्यवस्था करना।

4. जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना।

5. पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करना और निर्धनता उन्मूलन की दृष्टि से कृ षि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना।

6. कीमतों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना।

7. उसामाजिक–आर्थिक परिवर्तन और विकास के अभिकर्ता के रूप में महिलाओं तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों एवं अल्पसंख्यओं को शक्तियां प्रदान करना।

8. पंचायती राज संस्थाओं, सहकारिताओं तथा स्वयंसेवी वर्गों जैसी लोक भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनका विकास करना।

9. आत्म निर्भरता प्राप्त करने वाले प्रयासों को सुदृढ़ करना।

नवमी योजनाकाल में प्रत्यक्ष निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को व्यापक आधार पर क्रियान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन इन विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य देश की सहभागिता बढ़ाने हेतु अधिक अवसर सृजित करना है। इस योजनावधि में जहां मुख्य स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में "समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम" को प्राथमिकता दी गई है, वहीं 'जवाहर रोजगार योजना' और 'रोजगार आश्वासन योजना' को मुख्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में महत्व प्रदान किया गया है।

नवमी पंचवर्षीय योजना में शहरी निर्धनता उन्मूलन हेतु एक नये कार्यक्रम "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया हे जबकि पूर्व से चले आ रहे नेहरू रोजगार योजना, निर्धनों के लिए शहरों में मूलभूत सेवाएं तथा प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना केन्द्र सरकार द्वारा देश के सभी शहरों में लागू करने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत संसाधन केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जबकि शेष 25 प्रतिशत संसाधन संबंधित राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना 1 दिसम्बर 1997 से प्रारंभ किया जा चुका है और इसके अन्तर्गत दो योजनाएं यथा–

(क) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और

(ख) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं।

इस तरह नवमीं योजना में भी लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधान लाने पर विशेष बल दिया गया है।

10. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)

दसवीं पंचवर्षीय योजना में तथा उसके बाद में निर्धनता में कमी लाने के लिए अनेक लक्ष्य रखे गए। इसमें से एक लक्ष्य 2007 तक निर्धनता अनुपात को 5 प्रतिशतांक तक एवं 2012 तक 15 प्रतिशतांक तक कम करना है। निर्धनता उन्मूलन के लिए योजना गत प्रावधान के अन्तर्गत 2001–02 के 9,765 करोड़ रू. और 2002–03 के लिए 11,170 करोड़ रू. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

सभी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता और भूमि सुधार एवं भू–अभिलेख आदि पर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा पर्याप्त राशि व्यय की जाती रही है। इलेक्ट्रोनिकी, समन्वित ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम और निर्धनता आदि पर विशेष जोर दिया जाता रहा है। इन सब कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप देश अवश्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। रोजगार के अवसर प्राप्त करना, कमजोर वर्गों का उन्नयन, निर्धनता की परिसमाप्ति और ऊँच–नीच का भेद मिटाकर समाज को समता की ओर ले जाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

11. ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007–2012)

भारत की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना नीतियों का पुनर्गठन करने के लिए तेजी से, अधिक व्यापक आधार पर एक नई दृ ष्टिकोण को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह गरीबी को कम करने के लिए बनाया गया है। ग्यारहवीं योजना में एक स्थाई विकास पथ पर योजनावधि के अन्त तक लगभग 10 फीसदी की वृद्धि दर के साथ अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। यह पहले की तुलना में एक तेज गति से उत्पादक रोजगार बनाने के लिए और प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत कृषि विकास का लक्ष्य है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना शारीरिक रूप में अच्छी तरह से बुनियादी ढांचे के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं के लिए उपयोग सुनिश्चित करने तथा विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में असमानता को कम करने के लिए उपयोगी बनाना है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति में दो कारण अनिवार्य हिस्सा है रू–

1. तेजी से विकास के लिए सभी बुनियादी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए आवश्यक है।

2. यह तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का सामूहिक आय बढ़ाने के लिए एक सामान्य सुधार के लिए उम्मीद कर सकते हैं।

समावेशी विकास के लिए रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व अपने लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पीने का पानी आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं को कम समय में व्यस्थित करना और इन पर सीधे आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को प्रभाव प्रदान करने का प्रयास करना। इस प्रकार 11 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत् ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के तहत गरीबों तक विशेष सुविधाएँ पहुंचाने का अभिनव प्रयास किया गया।

12. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलाई जानी है इस योजना का निर्माण नीति आयोग द्वारा किया गया जो पहले योजना आयोग कहलाती थी। जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अध्यक्षता में प्रांरभ की गई है। यह योजना भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो गई है क्योकि भारत विश्व के अधिक विकासशील देशों के सूची में सम्मिलित है और यही वह समय है जब हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर विश्व के महत्वपूर्ण देशों में शामिल हो सकते है। इस तथ्यों में ध्यान में रखकर इस योजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित है–

1. इस योजना में सालाना 10 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था में भी पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखकर 11 पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर की रफतार को 9 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

3. सितंबर, 2008 में शुरू हुए आर्थिक संकट का असर इस वित्त वर्ष में बड़े पैमाने पर देखा गया है। यही वजह थी कि इस दौरान आर्थिक विकास दर घटकर 6. 7 प्रतिशत हो गई थी। जबकि इससे पहले के तीन वित्त वर्षो में अर्थव्यवस्था में 9 प्रतिशत से ज्यादा की दर से आर्थिक विकास हुआ था। भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर 8.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया है।

4. निजी क्षेत्रों में 1 खरब डॉलर के निजी निवेश को आकर्षित करने की योजना है।

5. सरकार के ऊपर पड़ने वाले सब्सिडी के बोझ को कुल सकल घरेलु उत्पाद के 2 प्रतिशत को घटाकर 1.5 प्रतिशत तक कम करना है।

6. कृषि क्षेत्र में विकास की दर को 4 प्रतिशत तक प्राप्त करना है।

7. 2017 तक गरीबी को 10 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य है जिसके लिए कार्यक्रम का निर्माण करना है।

संदर्भ सूची :–

1. योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली

2. वार्षिक प्रतिवेदन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज.

3. एम.आई.एस. रिपोर्ट

4. कार्यालय जिला परिषद्, अलवर

5. कार्यालय डी.आर.डी.ए., अलवर

6. ई पंचायत पोर्टल, जिला अलवर